न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/113/2024 रजू दिनांकः 23.08.2024 रजि0 न0 2024/202

अपीलार्थीः–

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 श्री मंगतूराम गुप्ता, निवासी 46 बोदन कॉलोनी, मोहित गार्डन मैरिज होम के पीछे, चोर डूंगरी के सामने, जयपुर रोड़ अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 03.09.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 03.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्र क्रमांक यूआईटी/आर.टी.आई/2024/5141 दिनांक 02.09.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी ने प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 11.07.2024 में बिन्दुवार सूचना चाही गई है के कम में प्रार्थी को बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही गई सूचना निर्धारित प्रारुप में नहीं होने एवं विशिष्टियां रहित होने के कारण "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ)" अन्तर्गत देय नहीं होने बाबत न्यास के पत्र कमांक 3370 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा पत्रांक 3370 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा पूर्व में ही उक्त प्ररकण में विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखांया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)